बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

(भाग १—कार्यवाही प्रश्नोत्तर)

शुक्रवार, तिथि २६ मार्च, १६७६ ई०

विषय-सूची

		पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर	: बिहार विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली के नियम ४(२) के परन्तुक के अन्तर्गत सभा मेज पर रखे गये प्रश्नों के लिखित उत्तर।	१
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	:	
अल्प-सूचित प्रश्नोत्तर संख्या	: १७ एवं १८	२—६
तारांकित प्रश्नोत्तर संख्या	: ६०८, ६१०, ३१२, ६१५–६२२, ६२४, ६२९—६३१, ६३३, ६३५, ६३७, ६३९, ६४२, ६४३, ६४८, ६५०, ६५२, ६५३, ६५६, ६५८, ६६०, ६६३, ६६५, ६७०, ६७५; ६७६, ६८०, ६८५।	६–४६
परिशिष्ट १ एवं २ (प्रश्नों के लिखित उत्तर)		४७–१६३
दैनिक निबन्ध		१६५–१६६

टिप्पणी—जिन मंत्रियों एवं सदस्यों ने अपना भाषण संशोधित नहीं किया है, उनके नाम के आगे (*) चिह्न लगा दिया गया है।

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

शुक्रवार, तिथि २६ मार्च, १९७६

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य विवरण।

सभा का अधिवेशन पटना के सभा-सदन में शुक्रवार, तिथि २६ मार्च, १९७६ को पूर्वाह्न ११ बजे अध्यक्ष, श्री हरिनाथ मिश्र के सभापतित्व में प्रारम्भ हुआ।

सभा के गत सत्रों के अतारांकित प्रश्नों के उत्तरों का पटल पर रखा जाना।

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा—अध्यक्ष महोदय, षष्ठ विहार विधान-सभा के पंचदश सत्र के ४* अतारांकित प्रश्नों के उत्तर विहार विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम ४(११) के परन्तुक के अन्तर्गत सदन की मेज पर रखती हूँ।

अल्प सूचित प्रश्न संख्या ५ के सम्बन्ध में

डा० रामराज प्रसाद सिंह—गत बार इसका जवाब मैंने दिया था और इसके बाद कुछ सदस्य तथा सदन असन्तुष्ट था। इसलिये आपने आगामी तिथि को समय रखा था। तो मैंने उत्तर की कॉपी कि किस बेसिस पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पिछड़ा जिला चुना है, इसके सम्बन्ध में क्या रिपोर्ट है, वे सारी चीजें सदन की मेज पर रख दिया है।

---

* कृपया इसके लिए परिशिष्ट २ देखें।

श्री हेमन्त कुमार झा—अध्यक्ष महोदय, टेबुल पर रख देने से और सदन में नहीं पढ़ने से सदन की कार्यवाही में यह नहीं आयगा।

अध्यक्ष—यह सब देखने के लिये अध्यक्ष हैं और अध्यक्ष एक ही हैं।

श्री हेमन्त कुमार झा—अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री का कहना है कि उत्तर पटल पर रख दिया गया है।

अध्यक्ष—अभी उनको जवाब देना है। आप बैठ जायं।

डा० रामराज प्रसाद सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैंने पटल पर रख दिया है; क्योंकि, इसका जवाब बहुत लम्बा है और अच्छा होता कि इस पर पूरक पूछने के लिये ३१ तारीख रख दिया जाता।

अध्यक्ष—शान्ति। आप ऐसा करें कि जो आपने पटल पर रखा है या जवाब जो आप देना चाहते हैं, इन सभी की प्रतियाँ वितरित करा दीजिए और मैं ३० मार्च, १९७६ के लिये इसको रख देता हूँ। उस दिन इस पर प्रश्नोत्तर होगा।

अल्प-सूचित प्रश्नोत्तर

वेतन भुगतान की समस्या।

१७। श्री रामदेनी राम—क्या मंत्री, पर्यटन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि छोटानागपुर प्रमण्डल (उत्तरी दक्षिण) के सभी पर्यटक केन्द्रों के कर्मचारियों के वेतन का भुगतान रांची से किया जाता है;

(२) क्या यह बात सही है कि पर्यटन केन्द्रों के अधिकतर कर्मचारी अल्प-वेतन भोगी हैं और उन्हें वेतन लाने के लिये रांची जाने में मार्ग व्यय करना पड़ता है, जिसके चलते उन्हें अत्यन्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, साथ ही उन्हें वेतन देर से प्राप्त होता है;

(३) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करना चाहती है, जिसके अन्तर्गत खंड (२) में वर्णित कर्मचारियों की समस्या का अन्त हो सके?

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा—(१) छोटानागपुर प्रमंडल के अन्तर्गत पर्यटक सूचना केन्द्र, रांची, हजारीबाग, पतरातू, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो,